

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय— डा0 ऋषि कान्त पाण्डेय, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 8889 (2) वि0 दिनांक 24.12.1986, पत्राक 1829 वि0 (2) दिनांक 07.04.2005 एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के पत्राक 39(25) दिनांक 07.01.2025 के आलोक में डा0 ऋषि कान्त पाण्डेय, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति दी जाती है।

2. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि कभी भी वित्तीय अनियमितता/वसूलनीय राशि का मामला प्रकाश में आता है तो उसकी नियमानुकूल वसूली डा0 ऋषि कान्त पाण्डेय से की जाएगी।

3 डा0 ऋषि कान्त पाण्डेय की सेवा निवृत्ति की तिथि 31.01.2025 है।

4 अनुरोध है कि प्राधिकार पत्र अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(शैलेश कुमार)

ज्ञापक

61 (3)

/स्वा0, पटना, दिनांक 27/1/25

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन (नया सचिवालय), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: डा0 ऋषि कान्त पाण्डेय, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना, पत्राचार का पता-शांति नगर कॉलोनी, अमरा खैरा, पद्मावती डिग्री कॉलेज के समीप, उत्तर प्रदेश, पिन-221108, मो0 न0 9123162743 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव